



2026:AHC: 5327

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 14322 सन् 2025

लोकेन्द्र

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अजातशत्रु, अवधेश कुमार मिश्रा, शारदा यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री अवधेश कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री शशि प्रकाश, ब्रीफ होल्डर, को राज्य-प्रतिवादियों की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह ज़मानत आवेदन आवेदक लोकेन्द्र की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम, की धारा 8/20/29/60 के अन्तर्गत थाना फराह, जिला मथुरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 112 सन् 2025 में ज़मानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है जिसमें आवेदक के कब्जे से गाँजा 22 किग्रा., जो वाणिज्यिक मात्रा से सामान्यतः अधिक है बरामद किया जाना कथित है। आपराधिक पूर्ववृत्त की व्याख्या जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में की गई है। आवेदक 28.03.2025 से कारागार में है। जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, पर उपरोक्त कथित तथ्यों पर वितर्क नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **लोकेन्द्र** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

08 जनवरी, 2026

एम/एन

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)